अश्विनी कुमार चौबे
Ashwini Kumar Choubey
उपभोक्ता मामले खाद्य एवं
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय राज्य मंत्री
MINISTER OF STATE
Consumer Affairs Food & Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
नई दिल्ली / New Delhi

लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात

नई दिल्ली अधिप्रमाणित

सं. 7/2/2021-बीआईएस

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक, 2 फरवरी 2022

विलंब विवरण

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 2016 की धारा 23 में कहा गया है कि केंद्र सरकार वार्षिक रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।

2. भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 45 में यह प्रावधान है कि ब्यूरो अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आठ महीने के भीतर केंद्र सरकार को अग्रेषित करेगा। तदनुसार, बीआईएस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, ब्यूरो को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक केंद्र सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3. हालांकि, वर्ष 2020-21 के लिए अंतिम वार्षिक रिपोर्ट 30 नवंबर, 2021 तक केंद्र सरकार को प्रस्तुत नहीं की जा सकी। वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और केंद्र सरकार को इसे प्रस्तुत करने संबंधी कालक्रम विवरण निम्नानुसार है: -

(i) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 6 अगस्त, 2021 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) को अपना वार्षिक लेखा प्रस्तुत किया। अप्रैल-जून के महीनों में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश को बुरी तरह प्रभावित किया जिसके कारण देश के अधिकांश राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन हो गया था और इस प्रकार, बीआईएस के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय और बीआईएस मुख्यालय भी वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने की इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान बंद कर दिए गए थे, जिससे वर्ष 2020-21 के लिए बीआईएस के लेखाओं का समय पर समेकन करने में देरी हुई और इस प्रकार, बीआईएस द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर तैयार नहीं किए जा सके;

(ii) वर्ष 2020-21 के लिए बीआईएस की लेखाओं का संपरीक्षण सीएजी द्वारा 6 सितंबर, 2021 से 24 सितंबर, 2021 तक की गई;

(iii) बीआईएस की मसौदा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21, अलग ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) को छोड़कर, जिसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में विधिवत संपादित और तैयार किया गया था, को 14 अक्टूबर, 2021 को महानिदेशक, बीआईएस द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(iv) उत्तर देने के लिए 18 अक्तूबर, 2021 को बीआईएस द्वारा सीएजी से ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई थी;

(v) एसएआर को छोड़कर मसौदा वार्षिक रिपोर्ट के लिए बीआईएस की कार्यकारी समिति की मंजूरी 25 अक्तूबर, 2021 को प्राप्त हुई थी;

(vi) बीआईएस ने 29 अक्तूबर, 2021 को सीएजी को ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट के अपने उत्तर सौंपे;

(vii) एसएआर को छोड़कर ड्राफ्ट वार्षिक रिपोर्ट इस विभाग में 10 नवंबर, 2021 को सरकार के मंजूरी के लिए प्राप्त हुई थी;

(viii) एसएआर को छोड़कर मसौदा वार्षिक रिपोर्ट के लिए माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और बीआईएस की शासी परिषद के अध्यक्ष की मंजूरी 24 नवंबर, 2021 को बीआईएस को अवगत करा दी गई थी;

(ix) एसएआर को छोड़कर वार्षिक रिपोर्ट के मसौदे के लिए शासी परिषद की मंजूरी 5 दिसंबर, 2021 को परिचालन (सर्कुलेशन) द्वारा प्राप्त हुई थी;

(x) अंतिम पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) 2020-21 लेखापरीक्षा कार्यालय से 28 दिसंबर, 2021 को प्राप्त हुई थी;

(xi) बीआईएस ने अपनी समीक्षा के साथ अंतिम वार्षिक रिपोर्ट 14 जनवरी, 2022 को संसद के दोनों सदनों में रखने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत की।

4. इसलिए, संसद के दोनों सदनों में बीआईएस की वार्षिक रिपोर्ट को रखने में देरी मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुई है:

(क) देश भर में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बीआईएस द्वारा वार्षिक लेखाओं के समेकन और अंतिम रूप देने में देरी; तथा

(ख) सीएजी के कार्यालय से अंतिम पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) प्राप्त होने में देरी।

******

PAPER TO BE LAID ON THE
TABLE OF LOK SABHA/RAJYA SABHA

New Delhi
Dated

Authenticated

अश्विनी कुमार चौबे
Ashwini Kumar Choubey
उपभोक्ता मामले खाद्य एवं
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय राज्य मंत्री
MINISTER OF STATE
Consumer Affairs Food & Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
नई दिल्ली / New Delhi

No. 7/2/2021-BIS
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department of Consumer Affairs

Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Dated, the 2nd Feb., 2022

DELAY STATEMENT

Section 23 of the Bureau of Indian Standards (BIS) Act, 2016 lays down that the Central Government shall cause the Annual Report to be laid, as soon as may be, after it is received, before each House of Parliament.

2. Rule 45 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018 stipulates that the Bureau shall prepare its Annual Report and forward it to the Central Government within eight months of the end of the financial year for being laid before each House of Parliament. Accordingly, as per the provisions in the BIS Act and rules framed thereunder, Bureau is required to submit its Annual Report to the Central Government by 30th November each year for laying before each House of Parliament.

3. However, final Annual Report for the year 2020-21 could not be submitted to the Central Government by 30th November, 2021. The chronology of finalization of Annual Report and its submission to the Central Government is as under:-

(i) Bureau of Indian Standards (BIS) submitted its Annual Accounts to Controller and Auditor General of India (CAG) on 6th Aug, 2021. The second wave of Covid-19 pandemic badly affected the entire nation in the months of April-June 2021 leading to complete lockdown in majority states in the country and thus, all the Regional Offices/Branch Offices of BIS and also BIS Headquarters were closed during this crucial period of finalization of Annual Accounts which delayed the timely consolidation of accounts of BIS for the year 2020-21 and thus, the Accounts could not be prepared within the prescribed timelines by BIS;

(ii) The Audit of Accounts of BIS for the year 2020-21 done by CAG from 6th Sept, 2021 to 24th Sept, 2021;

(iii) The draft Annual Report 2020-21 of BIS, excluding Separate Audit Report (SAR), duly edited and designed both in Hindi and English, was approved by the Director General, BIS on 14th Oct, 2021.

(iv) The draft Audit Report was received from CAG by BIS on 18th Oct, 2021 for giving replies;

(v) Approval of the Executive Committee of the BIS to the draft Annual Report excluding SAR was received on 25th Oct, 2021;

(vi) BIS submitted its replies to the Draft Audit Report to CAG on 29th Oct, 2021;

(vii) Draft Annual Report excluding SAR was received in this Department for approval of Government on 10th Nov, 2021;

(viii) The approval of the Hon'ble Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution and President of the Governing Council of BIS to the Draft Annual Report excluding SAR was conveyed to BIS on 24th Nov, 2021;

(ix) Approval of the Governing Council to the draft Annual Report excluding SAR was received by circulation on 5th Dec, 2021;

(x) The final Separate Audit Report (SAR) 2020-21 was received from the office of Audit on 28th Dec, 2021;

(xi) BIS submitted the final Annual Report along with its review to the Central Government on 14th Jan, 2022 for laying in both the Houses of Parliament.

4. Hence, the delay in laying the Annual Report of BIS in both the Houses of Parliament is mainly due to the following:

(a) delayed consolidation and finalization of Annual Accounts by BIS due to Covid-19 lockdowns across the country; and

(b) delay in receipt of final Separate Audit Report (SAR) from the office of CAG.

******